Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 6 | ISSN : 2581- 6306

हन्ना आरेंट का राजनीतिक दर्शन : सर्वाधिकारवाद के विशेष संदर्भ में एक अवलोकन

नीलिमा सिन्हा
असि0 प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीगंज, प्रतापगढ़।

Article Info
Volume 4, Issue 6
Page Number : 158-164
Publication Issue :
November-December-2021
Article History
Received : 15 Nov 2021
Published : 30 Nov 2021

सारांश– हन्ना आरेन्ट ने सर्वाधिकारवाद की विवेचना की है। सर्वाधिकारवाद का जितना जीवन्त विवेचना हन्ना आरेन्ट ने दिया है उतना किसी अन्य विचारक ने नहीं।

मुख्य शब्द– हन्ना आरेंट, राजनीतिक, दर्शन, सर्वाधिकारवाद, जीवन्त, जर्मनी।

हन्ना आरेंट बीसवीं शताब्दी की एक अग्रणी राजनीति शास्त्री थीं। वह मूलरूप से जर्मन की यहूदी थी। 1933 में हिटलर के जर्मनी का शासक बनने के बाद वे जर्मनी छोड़कर भाग गयी क्योंकि उसी समय हिटलर द्वारा नाजीवाद का सिद्धान्त दिया गया जो नस्लभेद पर आधारित था। हिटलर यहूदियों का मूल विनाश करना चाहता था और उसने साठ लाख से अधिक यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। हन्ना आरेंट जर्मनी से भाग कर फ्रांस आ गयी। हन्ना आरेंट पर अस्तित्ववादी विचारधारा का गहरा प्रभाव था। वे मार्टिन हाइट्रेगर और कार्ल जैस्पर जैसे विद्वानों के सम्पर्क में रहीं और उनके राजनीतिक चिंतन पर इन विद्वानों का गहरा प्रभाव रहा।

यूरोप सहित अन्य स्थानों पर सर्वाधिकारवादी विचारधारा धीरे–धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। लोकतांत्रिक देशों में भी लोकतंत्र अपने विकृत रूप अर्थात् भीडतंत्र में परिवर्तित हो रहा था। इस प्रकार राजनीतिक जीवन की विसंगतियों को देखकर हन्ना आरेंट को लगा कि राजनीतिक जीवन में सर्वाधिक संकट है। हन्ना आरेंट का मानना था कि सुख–दुख इंसान के विचारों पर निर्भर करता है न कि उसके भौतिक संसाधनों पर अर्थात बुराई विचार जगत में ही पैदा होती है। हन्ना आरेंट ने अनेक रचनाएं की जिनमें उनका राजनीतिक दर्शन परिलक्षित होता है। 'द ह्यूमन कंडीशन' उनकी प्रमुख रचना है। अपनी पुस्तक 'द ऑरिजिन ऑफ टोटेलीटेरेनिज्म' में उन्होंने सर्वाधिकारवाद पर विस्तृत रूप से चर्चा की है।

हन्ना आरेंट का मानना था कि राजनीति मनुष्य के जीवन का एक भाग है अतः कोई भी राजनीतिक शास्त्री पहले जीवन के अस्तित्व की बात करता है। अतः उन्होंने माना कि पहले हमें जीवन की समझ

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

होनी चाहिए। उनका मानना था कि मानवीय जीवन के दो पक्ष होते हैं –चिन्तनात्मक पक्ष एवं कार्यात्मक पक्ष। उन्होंने कहा कि मनुष्य की जो विशेषता उसे अन्य प्राणियों से अलग करती है वह है उसकी सोचने की क्षमता अर्थात् चिंतन की क्षमता पूरे ब्रम्हाण्ड में केवल मनुष्य के पास है। फिर वह कहती हैं कि चिंतन के तीन स्तर होते हैं – तर्क– वितर्क, जानना और समझना। वह कहती हैं कि पहला स्तर दूसरे स्तर से निम्न है और अंतिम स्तर अर्थात् समझना सबसे कठिन और उच्च स्तर है। यह स्तर सभी में नहीं पाया जाता है। दूसरा पक्ष अर्थात् कार्यात्मक पक्ष में भी तीन स्तर होते हैं– श्रम, क्रिया और कार्य जिस प्रकार मनुष्य के चिंतन की अलग–अलग कोटियां होती है उसी प्रकार उसके कार्यो की भी अलग–अलग कोटियां होती हैं। सबसे निम्न कोटि श्रम की है और सर्वोत्तम कोटि कार्य की है। अर्थात् विचार जगत में जो स्थान समझ का है, कार्य जगत में वही स्थान कार्य का है।

इस प्रकार मानव जीवन के दो पक्ष है – कार्यात्मक और चिंतनात्मक। अतः दोनों ही पदसोपानीय रूप में पाये जाते हैं। हन्ना आरेंट का मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक कल्याण से सम्बन्धित चीजों को महत्व दिया जाता है जबकि निजी क्षेत्र में व्यक्ति अपने कल्याण को विशेष महत्व देता हैं।

निजी सम्बन्धों का आधार भावना होती है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में सम्बन्धों की यह प्रगाढ़ता नही दिखाई देती। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र गुणात्मक रूप से भिन्न प्रकार के सम्बन्धों को विवेचित करते हैं।

भावनात्मक सम्बन्धों का निर्धारण सार्वजनिक धरातल पर नही हो सकते बल्कि यह पारिवारिक धरातल पर ही हो सकते हैं। निजी जीवन में चीजे एक आवरण में ढकी रहती हैं, वहाँ मन के भावों का प्रदर्शन नही किया जाता, जैसा कि सार्वजनिक जीवन में किया जाता हैं। परिवारिक सम्बन्धों को जब प्रदर्शित किया जाता है तो उसमें प्रेम नही रह जाता क्योंकि तब हम आन्तरिक सम्बन्धों को सार्वजनिक रूप प्रदान कर देते है।

आपसी सम्बन्ध तर्क वितर्क का विषय नहीं है, वहाँ भावनाओं व स्नेह की प्रधानता होती हैं। इसलिये निजी जीवन को एक आवरण में रखने की कोशिश की जाती हैं। जब यह आवरण टूट जाता है तो परिवार भी टूट जाते हैं। इसका परिणाम लोगों का नैतिक व मानसिक पतन होता हैं। पाश्चात्य देशों में यह प्रवृत्ति काफी अधिक देखने को मिलती हैं। आरेंन्ट कहती है कि निजी जीवन इतना पवित्र होता है कि इसे हम सार्वजनिक जीवन से छिपाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि प्रदर्शित करने से वे सम्बन्ध पवित्र नही रह जाते है अपितु वे एक तरह से उपयोगिता वादी सम्बन्ध हो जाते है अर्थात् प्रेम तभी तक रह जाता है जब तक एक व्यक्ति सम्बन्धित व्यक्ति के लिए उपयोग हो। जब निजी जीवन टूटता है तो व्यक्ति विखर जाता है और कितनी ही बौद्धिक सम्पदा उसके पास कयों न हो, वह मानिसक रूप से शान्ति नहीं पाता हैं।

इसके विपरीत सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करना होता है। वहाँ पर आप को लोग एक सम्पन्न मनुष्य के रूप में देखना चाहते हैं। यह प्रदर्शन बुरा नहीं है, क्योंकि क्षमतावान लोग रहेंगे तभी देश को श्रेष्ठता प्राप्त होगी। व्यक्ति दूसरे को देखकर ही प्रेरित होता है जितना अधिक महत्व दृश्य का होता है उतना पाठ्य का नही। हन्ना आरेन्ट मानती है कि सार्वजनिक जीवन प्रदर्शित करने वाला क्षेत्र

होता है और वह श्रेष्ठ भी हो सकता है और दूषित भी। चूंकि इसका दूरगामी और दीर्ध कालीन प्रभाव पड़ता हैं। अतः यह प्रदर्शन मन और बुद्धि को प्रकाशित करने वाला होना चाहिए। यह प्रदर्शन व्यक्ति के संस्कारों को विगाड़ने वाला नही होना चाहिए। अतः जब हम सार्वजनिक क्षेत्र में विचार करते है तब वह सार्वजनिक हित से सम्बन्धित होना चाहिए।

हन्ना आरेन्ट के राजनीति के सिद्धान्त को राजनीति का गणतान्त्रिक सिद्धान्त कहा जाता हैं। राजनीति के स्वरूप के विषय में जो सिद्धान्त आम तौर पर प्रचलित रहा है आरेन्ट उसे स्वीकार नही करती। वे राजनीति की इस प्रचलित अवधारणा को स्वीकार नही करती कि राजनीति में एक नेता और अन्य पीछे चलने वाले होते हैं। वे राज्य की इस परिभाषा को भी नही स्वीकार करती कि राज्य में एक शासक और अन्य शासित होते हैं।

उनका कहना है कि राज्य एक वैधानिक समुदाय भी है और एक राजनीतिक समुदाय भी। वैधानिक समुदाय का तात्पर्य है कि राज्य में कुछ नियम कानून होते हैं और उनके अनुसार राज्य का संचालन होता हैं। राज्य के सम्बन्ध में दूसरा पक्ष अर्थात् राज्य एक राजनीतिक समुदाय हैं। जो अधिक महत्वपूर्ण हैं। उनका कहना है कि राज्य एक बहुलता है अर्थात् राज्य में बहुत सारे लोग रहते हैं और इसका एक बहुत बड़ा भाग नागरिक होता हैं। नागरिक का मतलब होना है कि सभी व्यक्ति समान होते है और सबका समान राजनीतिक महत्व होता हैं। नागरिकता का दूसरा पक्ष यह है कि हर नागरिक में विशिष्टता होती है। नागरिकता के आधार पर सभी व्यक्ति समान होते है लेकिन अलग–अलग व्यक्तियों में अलग प्रकार की क्षमतायें होती हैं। तो इस अर्थ में व्यक्ति विशिष्ट भी होता हैं।

इस प्रकार चूंकि सभी समान है अतः राजनीतिक समाज में मालिक और गुलाम का सम्बन्ध स्वीकार नही किया जा सकता। चूंकि सभी व्यक्तियों में अलग–अलग क्षमतायें होती है तो इसका लाभ वह समाज को दे सकता है। अतः हन्ना आरेन्ट का मानना है कि समाज में संवाद और वार्तालाप निरन्तर होते रहने चाहिए। सभी व्यक्तियों में जब निरन्तर संवाद और वार्तालाप होगा तो वह सच्चे अर्थो में गणतन्त्र होगा। हन्ना आरेन्ट ने गणतन्त्र शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया जिस अर्थ में मान्टेस्क्यू ने किया।

हन्ना आरेन्ट का कहना है कि राजनीति का आधार संवाद और सहमति है और इन्ही आधारों पर राजनीति संचालित होती हैं। संवाद तथा सहमति तभी हो सकती है जब सभी व्यक्तियों को समान माना जाय। इसलिये हन्ना आरेन्ट किसी भी प्रकार के अधिनायकतंत्र और राजतन्त्र को अस्वीकार करती है वे प्रजातन्त्र को भी स्वीकार नही करती, क्योंकि उसमें जनता नेताओं के पीछे भेड़, बकरियों की तरह चलती हैं। वे जनता को उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसलिए वे गणतान्त्रिक शासन प्रणाली को ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानती है।

जब लोग सहभागिता व संवाद के आधार पर आपस में विचार विमर्श करके निर्णय लेंगे, तो वह राजनीति का सम्यक रूप होगा। उनका कहना है कि स्वतन्त्रता राजनीतिक जीवन का सार तत्व हैं।

राजनीति एक स्वतन्त्र गतिविधि है क्योंकि इसमें स्वतन्त्र नागरिक भाग लेते हैं। वे व्यक्ति को उपकरण के रूप में प्रयुक्त किये जाने की घोर विरोधी हैं। वे यूनान और रोम के राजनीतिक जीवन की बड़ी प्रशंसक है जिसमें सभी नागरिक आपस में बैठकर नीतियों को बनाते है और निर्णय लेते हैं।

हन्ना आरेन्ट का कहना है कि आधुनिक राजनीति में शक्ति और हिंसा का प्रयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है और राजनीति विकृत होती जा रही है राजनीतिक जीवन में शक्ति, हिंसा औरबल प्रयोग का बढ़ना राजनीतिक जीवन के पतन का सूचक हैं। इस लिये हन्ना आरेन्ट कहती है कि हिंसा का बढना राजनीति का निषेध है। इसी सन्दर्भ में वे कानून की अवधारणा का प्रतिपादन करती है वे राज्य को एक वैधानिक समुदाय मानती हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई भी राज्य विधि–विधानों पर आधारित होगा। लेकिन वह विधि को सम्प्रभु का आदेश नहीं मानती हैं। वे हाब्स की बहुत बड़ी आलोचक है जो कहता है कि कानून सम्प्रभु का आदेश हैं। वे कहती है कि आदेश का प्रयोग तो दास युग में हुआ करता है और कानून की यह परिभाषा दासत्व युग का बोध कराती हैं। इसलिये हन्ना आरेन्ट को कानून की इस अवधारणा पर गहरी आपत्ति हैं।

बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में यूरोप के कई देशों में अधिनायक वादी शासन स्थापित हुआ। जैसे इटली, जर्मनी, सोवियत संघ आदि यद्यपि तानाशाही की प्रणाली अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित है, लेकिन हन्ना आरेन्ट को एक नवीन प्रवृत्ति सर्वाधिकारवाद में मिली, जो अन्य प्रकार की शासन प्रणालियों से काफी अलग है।

यह शासन प्रणाली उन सभी देशों में उत्पन्न हुई जहाँ कुछ चतुर नेताओं ने सामान्य जनता की मनोवृत्ति का फायदा उठा करके सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली की स्थापना की।

यह ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्ति में खुद के विचार और संस्कार नही होते अपितु वह दूसरे के विचारों से संचालित होता हैं। वह उत्पादन और उपयोग को ही अपने जीवन का एक मात्र लक्ष्य समझता हैं। वह प्रवाह के साथ ही बहता चला जाता है। चतुर राजनीतिज्ञों ने उनकी इसी मनोवृत्ति का लाभ उठाया और सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली की स्थापना की।

हन्ना आरेन्ट ने सर्वाधिकारवादी शासन को निकट से देखा वे और उसके पति दोनो ही इसके शिकार थे। अतः उनके लिये स्वाभाविक था कि वे सर्वाधिकार पर विचार करे। उनकी पहली पुस्तक द ओरिजेन ऑफ टोटैलिटेरिनिज्म ने उस समय धूम मचा दी।

हन्ना आरेन्ट के अनुसार सर्वाधिकारवाद की प्रणाली तीन लक्षणों पर आधारित है –

1.नेता

2.विचारधारा

3.हिंसा और भय

सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में एक व्यक्ति सर्वेसर्वा माना जाता है उसे नेता कहा जाता हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी, सोबियत संघ में स्टालिन सर्वेसर्वा थे। सभी संवैधानिक सस्थाएं नेता के आदेशो का पालन करने वाली मात्र एक उपकरण होती है। स्टालिन के शासन काल में एक विचारक ने 'सुप्रीम सोबियत' को मात्र एक ताली बजाने वाली संस्था कहा।

हन्ना आरेन्ट का कहना है कि आधुनिक सभ्यता में सभी देश चाहे वह लोकतान्त्रिक ही क्यों न हो अन्तत सर्वाधिकारी शासन प्रणाली में बदल जाते है।

हन्ना आरेन्ट ने अपनी पुस्तक ऑन वायलेन्स में लिखा है कि जो व्यवस्था प्रचलित है अगर आप उसके अनुसार चलेंगे तो समाज आपको स्वीकार कर लेगा और यदि आप उसका विरोध करते हैं तो समाज आपको कभी स्वीकार नही करेगा।

इन देशों में राजनीतिक संस्थायें सामाजिक संस्थायें प्रेस आदि निरर्थक है क्योंकि वे तानाशाह की इच्छा के मात्र एक उपकरण होती हैं। अतः इस व्यवस्था में सभी संस्थायें अप्रासंगिक होती है।

प्रत्येक सर्वाधिकारवादी प्रणाली एक विचारधारा पर आधारित होती है। यह नेता के सिद्धान्तों का ही हिस्सा होता है क्योंकि यह नेता की ही विचारधारा होती हैं। उदाहरण के लिये रूस में साम्यवाद, इटली में फासीवाद, जर्मनी में नाजीवाद यह कोई सम्यक दर्शन नही है अपितु यह तानाशाह की इच्छा होती है जो विचारधारा के रूप में हमारे सामने आती हैं। यह विचार धारा तानाशाह के असली इरादो को छिपाने की कोशिश करती हैं। इस विचारधारा में हमें किसी सम्यक दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक विचारों की खोज नही करना चाहिये क्योंकि ये विचार धारा तानाशाह की इच्छा होती हैं।

सर्वाधिकारवादी प्रणालियाँ प्रचार पर आधारित होती है प्रचार असत्य पर आधारित होता है अर्थात् प्रचार का उपयोग वहीं करता है जो अपने असत्य को सत्य साबित करने की कोशिश करते है चूंकि सर्वाधिकारवादी विचार धारा अन्दर से खोखली होती है। अतः उसी खोखलेपन को ढकने के लिए लोग प्रचार का सहारा लेते हैं। हिटलर के सूचना मंत्री ने एक बार कहा था कि एक असत्य को आप अगर सौ बार बोलेगे तो लोग आप को सत्य मान लेगें। प्रचार में झूठ को सत्य में परिवर्तित करने की क्षमता होती हैं। इस लिये सर्वाधिकारवादी व्यवस्था अपनी विचारधारा स्थापित करने के लिये प्रचार का सहारा लेता हैं।

सर्वाधिकारी व्यवस्था अपने को कायम रखने के लिए भय और आंतक का सहारा लेती हैं। इसलिये सर्वाधिकार वादी समाज एक कारागार की तरह होता हैं। इसका आधार जनसमर्थन या जनसहमति नही अपितु इसका आधार भय होता है। माटेस्क्यू का कहना था कि लोग तानाशाह के आदेशों का पालन स्वेच्छा से नही वरन् भय के कारण करते हैं। तानाशाही व्यवस्था में शान्ति तो होती है अर्थात् तानाशाही व्यवस्था में जो शान्ति होती है वह भय और आंतक के कारण होती है।

सर्वाधिकारवादी देशों में संविधान तो होता है लेकिन संविधानवाद नही अर्थात् इन देशों में संविधान केवल दिखाने के लिये होता है और सारा शासन तानाशाह की इच्छा से संचालित होता है।

जबकि लासवेल ने अपनी पुस्तक में बताया है कि वीसवीं शताब्दी की जो सर्वाधिकारवादी विचार धारायें थी वह विकृत मानसिकता वालों की थी। वे ऐसे लोग थे जो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। इन्होंने अपने स्वार्थी मनोवृत्तियों और पूर्वाग्रहों के आधार पर अपने राजनीतिक सिद्धान्तों का निर्माण किया इस प्रकार अधिनायकवाद एक विचारधारा तो थी, लेकिन वह राजनीति का एक सम्यक दर्शन नही था। इसलिये विचारधारा को सत्य साबित करने के लिए प्रचार का सहारा लिया जाता हैं।

लेकिन शक्ति के बल पर कोई बहुत लम्बे समय तक शासन नही कर सकता। कोई व्यक्ति नैतिकता के आधार पर ही नेता बन सकता हैं। जहाँ शासक भय और आंतक के बल पर शासन करते हैं, वहाँ शासक के प्रति प्रेम और आदर नहीं होता।

वाल्टर लिपमैन ने कहा है कि लोकतन्त्र पाखण्ड पर चलने वाली शासन प्रणाली हैं।

हन्ना आरेन्ट ने सर्वाधिकारवाद के विषय में दो और बाते बताई है–

प्रथम तो हन्ना आरेन्ट ने बीसवी शताब्दी में सर्वाधिकारवादी विचारधारा के इतनी तेजी से प्रसार का कारण बताया है। उनका कहना था कि हम ऐसा नही कह सकते कि उनके पास जनसमर्थन नही था क्योंकि हिटलर और मुसोलिनी ने जनसर्मथन के आधार पर ही सत्ता प्राप्त की। हन्ना आरेन्ट का कहना है कि बीसवीं शताब्दी का मनुष्य अकेला है, क्योकि इस शताब्दी में जो सभ्यता आयी है, वह समाज में अलगाववाद और अकेलापन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं। इसलिए व्यक्ति के जीवन में नीरसता घर कर गयी है। अकेला आदमी अपने आपको बहुत ही असुरक्षित महसूस करता है, अतः उसे अपनी सुरक्षा के लिये किसी शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता होती हैं। इसी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति ने सर्वाधिकारवाद को पैदा करने में विशेष भूमिका निभाई, सर्वाधिकारी प्रणाली बीसवीं शताब्दी के मानव मनोविज्ञान का परिणाम हैं। इस प्रकार सर्वाधिकारी व्यवस्था केवल शक्ति पर आधारित नहीं हैं। अपितु उसे कायम करने में जनसमर्थन की विशेष भूमिका है।

हन्ना आरेन्ट का कहना है कि, ‘‘ सर्वाधिकारवादी आन्दोलन विखरे हुये मनुष्यों के समर्थन से चलने वाले आन्दोलन हैं।

इसके उदय होने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि बीसवीं शताब्दी के आदमी को खाने–कमाने की चिन्ता हैं। वह राष्ट्र के प्रति अपना कोई कर्तव्य नही समझता, वह केवल स्वय के भविष्य की चिन्ता करते हैं। इस प्रकार जब नागरिकों के हृदय से राष्ट्र की धारणा ही समाप्त हो जायेगी। सर्वाधिकारवाद का उदय अवश्यभावी है। इसलिये सर्वाधिकार के उदय का एक प्रमुख कारण मनुष्यों का भोगवादी समाज हें।

उपरोक्त तर्को के आधार पर हन्ना आरेन्ट ने सर्वाधिकारवाद की विवेचना की है। सर्वाधिकारवाद का जितना जीवन्त विवेचना हन्ना आरेन्ट ने दिया है उतना किसी अन्य विचारक ने नहीं।

संदर्भ गन्थः–

1. ओ0पी0 गाबा – समकालीन राजनीतिक सिद्धान्त
2. Samantha Hill – Hanna Arendt (Critical Lives)
3. अम्बिका दत्त शर्मा, विश्वनाथ मिश्र – हन्ना आरेन्ट 'हिंसा का उत्खनन'
4. डा0 पुखराज जैन, डा0 अरूणोदय बाजपेयी – राजनीतिक सिद्धान्त एवं अवधारणाएं
5. ओ0पी0 गाबा – पाश्चात्य राजनीतिक विचारक
6. ओ0पी0 गाबा – समकालीन राजनीतिक विचारधाराएं
7. डा0 बी0एल0 फड़िया, डा0 कुलदीप फड़िया – समकालीन राजनीतिक सिद्धान्त

ONLINE RESOURCES FOR STUDY

1.Google Books

2.INFLIBNET

3.स्वयंप्रभा